तृतीय अनुसूची
THIRD SCHEDULE
प्रपत्र एम. एम.–1
खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र (नियम–6)
(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

दिनांक ..... 20 .....

(समय) ..... बजे

(स्थान) .....

(दिनांक) ..... को प्राप्त हुआ। सभी प्रकार से पूर्ण/ अपूर्ण

(पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से .....को पूर्ण किया गया।

पाने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अधीन खनन पट्टा दिया जाय।

2. उक्त नियमावली में नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन इस प्रार्थना पत्र के संबंध में देय शुल्क और प्रारम्भिक व्यय का क्रमशः ..... रुपया और ..... रुपया जमा कर दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :–

(एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता

(दो) क्या प्रार्थी गैर–सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या निकाय है :

(तीन) यदि प्रार्थी :–

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता

(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता और उसके निबंधन (रजिस्ट्रेशन) का स्थान

(ग) सार्वजनिक कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूंजी का प्रतिशत तथा उसके निगमन का स्थान

(घ) फर्म या निकाय है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता

21वाँ (ड.) बालू या मौरंग या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई मिली–जुली अवस्था में हो, प्रार्थना कर्ता है तो निर्धारित प्रपत्र पर जाति एवं निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

(चार) प्रार्थी का व्यवसाय या कारोबार

(पांच) खनिज जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है

(छः) अवधि, जिसके लिये खनन पट्टा अपेक्षित है

(सात) उस क्षेत्र का ब्योरा, जिसके संबंध में खनन पट्टा अपेक्षित है :–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है/किसी के द्वारा धृत है और यदि धृत हैं तो उसका ब्यौरा।
1	2	3	4	5	6	7

(आठ) निम्नलिखित के संबंध में विशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :–

(क) प्राकृतिक आकृतियां, ऐसे स्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति।

(ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यवृत्त (वर्किंग सर्किल) का नाम, धन (रजि) और पातन श्रेणी (फेलिंग सीरीज); यदि कोई हो, वन मं ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सबंध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग)।

(ग) भू–कर सर्वेक्षण (कैडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाली क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र (टोपो मैप) में निश्चित स्थानों के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (स्ट्रटिंग प्वॉइंट) विवरण और सीमा रेखा की रेखीय दूरियां और उनकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के धरातल मानचित्र में दिये गये क्षेत्र के तदनुरूप यथासम्भव ठीक–ठीक दिकस्थिति (बियरिंग)।

(घ) मानचित्र पर कम से कम दो स्थायी अभिदेश बिन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिये

(नौ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजवार ऐसे क्षेत्रों के विवरण :–

(क) जिन्हें प्रार्थी या कोई व्यक्ति, जो उसके साथ स्वत्व में संयुक्त (ज्वाइन्ट इन्टरेस्ट) हो, पट्टे के अधीन पहले से धारण किये हो;

(ख) जिसके लिये उसने पहले से ही प्रार्थना पत्र दिया हो किन्तु स्वीकार न किया गया हो;

(ग) जिसके लिये एक साथ ही प्रार्थना पत्र दिया जा रहा हो;

(दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो

(ग्यारह) रीति, जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उद्योग स्थापित करना चाहता हो, या उसने पहले से ही स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये

(बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन

21वाँ (बारह–क) खननदेय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ पत्र उक्त प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये।

(तेरह) उपर्युक्त (दो) में अभिदिष्ट धनराशि के लिये संलग्न रसीद वाले कोषागार चालान के विवरण

(चौदह) कोई अन्य विवरण या रेखा–मानचित्र (स्केच मैप) जो प्रार्थी प्रस्तुत करना चाहें

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/ करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सहीं हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अन्तग्रज्ञ यथार्थ नक्शें और प्रतिभूति जमा आदि हैं; देने को तैयार हूं/हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

स्थान ..... भवदीय

दिनांक ..... प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

अवधेय :– (1) यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण–पत्र (पावर आफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिये।

(2) प्रार्थना पत्र केवल एक सहत खण्ड (ब्लाक) के लिये होना चाहिये। 17–इस प्रकार प्रतिस्थापित उक्त नियमावली के प्रपत्र